

प.एफ8(24)/Doc/ Gen/98/ML- 3321

दिनांक 01/11/2019

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.9(2)/(59)/कार्मिक/क-3/97/पार्ट-। दिनांक 23.07.2001 की अनुपालना में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिये निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम एवं पद	समिति
1	श्रीमति ज्योति लुहाडिया, एस.ए.(संयुक्त निदेशक)	अध्यक्ष
2	सुश्री सोनिया चतुर्वेदी, एस.ए.(संयुक्त निदेशक)	सदस्य
3	श्रीमति राजश्री सांखला, एसीपी (उप निदेशक)	सदस्य
4	श्रीमति श्वेता सक्सैना, एसीपी (उप निदेशक)	सदस्य सचिव
5	प्रधानाचार्य , कनोडिया कालेज, जयपुर	विशिष्ट सदस्य

यह समिति विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/क्षतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी -

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना ।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना ।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर ।
2. श्रीमति ज्योति लुहाडिया, एस.ए.(संयुक्त निदेशक), सू.प्रौ.और संचार विभाग, जयपुर ।
3. सुश्री सोनिया चतुर्वेदी, एस.ए.(संयुक्त निदेशक), सू.प्रौ.और संचार विभाग, जयपुर ।
4. श्रीमति राजश्री सांखला, एसीपी (उप निदेशक), सू.प्रौ.और संचार विभाग, जयपुर ।
5. श्रीमति श्वेता सक्सैना, एसीपी (उप निदेशक), सू.प्रौ.और संचार विभाग, जयपुर ।
6. प्रधानाचार्य , कनोडिया कालेज, जयपुर ।
7. प्रभारी अधिकारी, (वेबसाइट), सू.प्रौ.और संचार विभाग को वेबसाईट पर डालने हेतु ।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव